CHETNA

खिलती कलियाँ

वार्षिक न्यूज लैटर अंक : 1 सितम्बर 2022

गुरुग्राम में सड़क एवं कामकाजी बच्चों के शिक्षा से जोड़ने हेतु शुरू हुई खिलती कलियां परियोजना

● सामाजिक संस्था चाइल्डहुड एनहान्समेन्ट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन चेतना एवं गुरुग्राम के अलग–अलग विभिन्न विभाग जैसे पुलिस विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस परियोजना की शुरुआत की गई है इस परियोजना का उद्देश्य है गुरुग्राम में रहने वाले 3 साल में 2000 सड़क एवं कामकाजी बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु लक्ष्य लेकर काम करेगी।

● इस अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटन शिक्षा के आंगन नाम के एक रंग–बिरंगे केंद्र का उद्घाटन महोदय मेजर जनरल अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित श्री प्रवीण कुमार जी के हाथों से हुआ एवं पुलिस विभाग एवं एरिया एसएचओ एवं ट्रैफिक विभाग से टीआई इंस्पेक्टर साथ ही संस्था के निर्देशक श्री संजय गुप्ता जी उपस्थित रहे।

● इस अवसर पर संस्था के निर्देशक श्री संजय गुप्ता जी ने बताया कि यह परियोजना गुरुग्राम के हाई राइज बिल्डिंग होने की वजह से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इन बिल्डिंगों में साफ सफाई एवं सिक्योरिटी गार्ड बाई के भूमिका में कार्यरत हैं उनके बच्चे विषम परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं और स्कूल तक किसी कारण से नहीं पहुंच पाते हैं शहरी चकाचौंध में जहां एक तरफ सड़क एवं कामकाजी बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी तरफ यह जिम्मेदारी भी बनती है की बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र की शुरुआत करें उसी क्रम में आज गुरुग्राम में रंग–बिरंगे शिक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है इसका नाम है शिक्षा का आंगन साथ ही 10 अलग–अलग लोकेशन जैसे घाटा गांव एवं पड़ला डांडी व वजीराबाद डांडी चकरपुर गांव सोना चौक बस्ती पर बच्चों को अल्टरनेटिव एजुकेशन प्रोवाइड कर शिक्षा से जोड़ा जाए।

● इस शुभ अवसर पर मेजर जनरल श्री प्रवीण कुमार जी ने कहा कि देश के हर बच्चा का जगह स्कूल है और चेतना संस्था द्वारा किए जा रहे यह सराहनीय कदम और इस क्रम में आज रंग–बिरंगे केंद्र जिसका नाम ही शिक्षा का आंगन है मैं इसका हिस्सा बना और जब मैं बच्चों से बात कर रहा हूं और बच्चे कह रहे हैं कि मैं फौज में जाना चाहता हूं मैं पुलिस बनना चाहता हूं मैं देश की सेवा करना चाहता हूं इन बातों से मैं खुश हूं और मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं की हमारे समाज में जो वंचित बच्चे हैं जो शिक्षा से दूर है उनको मुख्यधारा में जोड़ने के लिए लगातार पहल कर रहे हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं।

● इस अवसर पर सेक्टर 29 के एरिया एसएचओ श्री सुरेंद्र कुमार एवं ट्रैफिक पुलिस के तरफ से श्री जसवंत सिंह एसआई ने कहा कि बहुत ही सराहनीय कदम है जो बच्चे सड़कों पर है या फिर स्कूल नहीं जाते हैं या वह बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर मंदिरों के आसपास भीख मांगते हैं इन बच्चों के लिए आज रंग–बिरंगे केंद्र जिसका नाम शिक्षा का आंगन है और मेष का सौभाग्य बना और इनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस विभाग से जुड़ी मदद की जरूरत होगी हमें बच्चों के लिए हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे।

● इस कड़ी में डिवाइस बुक ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकर्ता श्री ध्रुवा शर्मा जी ने कहा कि आज बहुत ही अच्छी पहल हुई जब सड़क से जुड़े बच्चे को शिक्षा के केंद्र में आने का मौका मिलेगा वह सभी बच्चे स्कूल जाएंगे बहुत ही सराहनीय कदम है और हमेशा हम लोग इसके साथ हैं।

● शुभ अवसर पर गुरुग्राम परियोजना के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री राजेंद्र कुमार जी ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत पुलिस विभाग शिक्षा विभाग एवं बच्चों से संबंधित सभी विभाग इसी प्रकार सहयोग करती रहेगी और हमारी संस्था बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के कार्य में अपना पूरा योगदान देंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में सभी बच्चों ने केक काटकर गुब्बारे सजाकर आनंद उठाया साथ ही अपने–अपने क्लास रूम में बैठकर शिक्षा ग्रहण की ।

● इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग सभी आए मुख्य अतिथियों को भेंट की गई जिसमें मेजर जनरल श्री प्रवीण कुमार पुलिस विभाग से आए एसएचओ एवं ट्रैफिक विभाग से आए टीआई सभी को पेंटिंग व गुलदस्ता देकर बच्चों ने धन्यवाद दिया ।

'निदेशक की कलम से'

आप सभी को खिलती कलियाँ का पहला अंक सौंपते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। खिलती कलियाँ गुरुग्राम में रहने बाले सड़क एवं कामकाजी बच्चो के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा परियोजना है जिसके माध्यम से इन बच्चो को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना साथ ही उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास है। समाजसेवी संस्था चेतना एवं अजीम प्रेमजी फिलॉन्थ्रोपिक इनिशिएटिव (APPI) ने खिलती कलियाँ के बाल साथियो में नेतृत्व क्षमता को विकसित करने एवं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अभी हाल ही में सहयोग देना शुरू किया है। हमारे प्रयासों को इस अंक के माध्यम से आपके साथ इस उम्मीद से साझा कर रहे हैं कि आप इस प्रयास को सराहेंगे एवं भविष्य में सहयोग भी देंगे। —**संजय गुप्ता**, निदेशक चेतना संस्था

बच्चों व बाल हितधारकों के मध्य बाल संवाद

● बच्चों व बाल हितधारको के मध्य बाल संवाद कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संस्था चाइल्डहुड एनहान्समेन्ट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन (चेतना) द्वारा कराया गया जिसमे गुरुग्राम के विभिन्न विभागों जैसे डिप्टी मेयर गुरुग्राम, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति और लेबर डिपार्टमेंट गुरुग्राम से लगभग 100 बच्चों ने संवाद किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी मेयर श्रीमती सुनीता यादव, श्रीमती कल्पना रंगा जिला कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा गुरुग्राम, श्रीमती सुमन इंस्पेक्टर वूमेन सेल महिला थाना सेक्टर 50। श्री प्रदीप शिवाच लेबर इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट गुरुग्राम और श्रीमती सोनिया यादव सदस्य बाल कल्याण समिति गुरुग्राम ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए चेतना संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री राजेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों को बच्चों द्वारा बनाए गए पुष्पकुछो से स्वागत किया एवं इस कार्यक्रम का उदेश्य बताया कि कैसे चेतना संस्था प्रोजेक्ट खिलती कलियां माध्यम से सड़क एवं कामकाजी बच्चों की शिक्षा एवं उनके एंपावरमेंट पर काम कर रही है आज इस कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य अथॉरिटी के साथ वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को सशक्त बनाना है।

● बाल संवाद के इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमती सुनीता यादव डिप्टी मेयर गुरुग्राम ने कहा चेतना संस्था बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है जो बच्चों के साथ गुरुग्राम के सभी जिला इकाई अधिकारियों के समक्ष वार्तालाप का आयोजन किया और बच्चों से रूबरू होने का मौका दिया मैं सभी से कहना चाहूँगी आप सभी बच्चे बहुत ही होनहार है आपको अपनी पढ़ाई करनी है स्कूल जाना है और हमेशा पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें करनी है और खुद से कहना है की हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे मैं गुरुग्राम में आप बच्चो के लिए बहुत सारे काम कर रही हूँ इसके साथ ही साथ मैं चेतना संस्था जैसी संस्थाओ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी रहती हूं और मैं संस्था को बधाई देती हूँ जो हमारे समाज के ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से कोसो दूर है उनके लिए शिक्षा से संबंधित कार्य कर रही है।

● इस कड़ी में श्रीमती कल्पना रंगा जिला कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा गुरुग्राम ने कहा कि अगर बच्चों को किसी भी स्कूल से संबंधित समस्या आती है तो आप हमें बताएं हम पूरी सहायता करेंगे आपके स्कूल दाखिला से संबंधित और मैं आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और चेतना संस्था के साथ–साथ आप अपनी क्लास में भी नंबर वन है और ऐसे ही मुस्कुराते रहें।

● इस कड़ी में श्रीमती सोनिया यादव जी सदस्य बाल कल्याण समिति गुरुग्राम ने कहा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई असुरक्षित टच करता है और आपको असहज महसूस होता है तो आप हमें बताएं पुलिस से शिकायत करें 1098 पर कॉल करें और अपनी मदद ले हम आपके मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं।

● इस कड़ी में श्री प्रदीप शिवाच लेबर इंस्पेक्टर लेबर डिपार्टमेंट गुरुग्राम ने कहा कि किसी भी प्रकार से बच्चे अगर बाल मजदूरी या फैक्ट्री में कार्य करते हैं वह बाल श्रम की श्रेणी में आते हैं तो हम लोग उस पर कार्यवाही करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और चेतना संस्था आप सभी को स्कूल में दाखिला करा रही है और जो हमारे डिपार्टमेंट से मदद होगी हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार है।

● इसी कड़ी में श्रीमती सुमन इंस्पेक्टर वूमेन सेल सेक्टर 50 महिला थाना ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही अच्छा लगा मैं पोक्सो, जेजे एक्ट से संबंधित मामले को देखती हूं और मैं आज सभी बच्चों से अपील करना चाहती हूँ क्या आप सभी स्कूल जायेंगे जब मैं दसवीं कक्षा में पढ़ती थी तब मेरे नंबर 60ः और मेरी सहेलियों के नंबर उससे ज्यादा थे तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं मुझे भी मेहनत के साथ पढ़ना है और मैंने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन किया और आज में महिला थाने की एसएचओ हूं मुझे खुशी है कि बच्चों के केस भी देखती हूं आपसे आशा करती हूं कि आप भी स्कूल जाएंगे और हमारी तरह पुलिस ऑफिसर बनेंगे साथ ही उन्होंने बच्चों को कविता सुनाई सभी बच्चों ने तालियों के साथ अभिनंदन किया।

● इस कड़ी में 13 वर्षीय विष्णु ने सवाल किया कि माननीय मेयर महोदय हमारे यहां पर लगातार झुग्गियां तोड़ दी जाती है जिससे हमें पढ़ाई में नुकसान होता है और रहने में परेशानी तब माननीय मेयर महोदय ने जवाब दिया और अनऑथराइज्ड झुग्गियों को प्रशासन द्वारा हटाया जाता है हमारी कोशिश है कि शहर को साफ सुथरा रखा जाये इसमें आप लोग भी सहयोग करें स्वच्छ और स्वस्थ गुरुग्राम बनाने में।

● 14 वर्षीय राजकिशोर में अपने पढ़ाई से संबंधित सवाल किया और कहा कि मैम हमारे क्लास में 3 पीरियड लगते हैं और बाकी पीरियड खाली रहते हैं एजुकेशन विभाग की तरफ से श्रीमती कल्पना रंगा ने कहा कि आप मुझे लिखित में दे दे मैं उस स्कूल से संबंधित बातचीत कर समस्या का समाधान करूंगी।

● इस कड़ी में चेतना संस्था की एचआर हेड श्रीमती उषा जस्टा ने सभी का धन्यवाद किया और कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है जब गुरुग्राम के सभी जिला अथॉरिटी के सामने बच्चों ने अपनी बात रखी और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी प्रकार से बच्चे और अथॉरिटी के साथ वार्तालाप होता रहेगा सभी आए प्रतिनिधि ने जलपान किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में चेतना कार्यकर्ता प्रियंका, जयवीर, आदिल, साधना, ममता, कोमल, नीलम, विजय, राजेंद्र और प्रतिभागी रहे 100 सड़क एवं कामकाजी बच्चो का विशेष सहयोग रहा।

बच्चों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

चेतना संस्था के तत्वावधान में शिक्षा का आँगन चक्करपुर गॉव, घाटा गॉव, परला ढाणी, एम्मार टॉवर और कानेही गॉव में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प का आयोजन किया गया जिसमे की 540 बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प करवाने का मुख्य उदेश्य था बच्चो के स्वस्थ रहने के अधिकार को दिलाना इन समुदायों में रहने बाले अधिकतर लोग अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देते है और न ही कभी अपने बच्चो के स्वास्थ्य पर इसके अलावा ये ज्यदातर झोलाछाप डॉ से ही दवा लेते है। इसके आलावा ये बच्चे जिन परिस्थितिओ में रहते है वह भी उतनी ठीक नहीं होती है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते है

घरो के आसपास बहुत ही गन्दा पानी बहता रहता है जिसके कारन उसमे बिमारी फैलाने बाले कीटाणु पनपते रहते है जिससे बीमारी का खतरा और भी बढ़ जाता है। संस्था द्वारा सबसे पहले डॉ हेमा मंजुल से संपर्क किया गया और उनसे समय लेकर इस समुदायों में स्वास्थ्य परीक्षण कैम्प लगाए गए जिसमे की बच्चो के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया और उनको दवा भी दी गयी इसके साथ ही साथ बच्चो को समझाया गया कि उनको क्या क्या सावधानिया बरतनी ही जिससे की वो कम से कम बीमार पड़े इसके साथ ही साथ उनको किस तरह का खाना खाना है किस तरह से अपने शरीर की सफाई रखनी है इसके साथ ही साथ जो बच्चियाँ 14 साल से ऊपर थी उनको मासिक धर्म के दौरान होने बाली समस्याओ को लेकर अवगत किया सभी बच्चो को आइरन और विटामिन की दवा दी गयी। अंत में सभी बच्चों को नाश्ता दिया गया।

बच्चों ने बाल अधिकारों के साथ साथ सीखा शोषण से अपना बचाव कैसे करें

संस्था द्वारा बच्चों के साथ जीवन कौशल कार्यशालाओं का आयोजन किया गया इसके लिए सबसे पहले सभी बच्चो आधारभूत मूल्यांकन किया गया जिसमे निकल कर आया कि न तो बच्चो को अपने अधिकारों की जानकारी है न ही उनको ये मालूम है की अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनको किस प्रकार से और कहा से मदद मिलेगी इसके आलावा ये भी देखा गया की जिस जगह पर ये बच्चे रहते है वहाँ पर बहुत गन्दगी रहती है इस सब बातो को ध्यान में रखते हुए इनके साथ बाल अधिकार, बाल सुरक्षा, सुरक्षित स्पर्श एवं असुरिक्षित स्पर्श और साफ–सफाई जैसे मुद्दों को जीवन कौशल कार्यशाला करवाने के लिए चुना गया।

सबसे पहले बाल अधिकार पर जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे सबसे पहले बच्चों को समझाया गया की हम बच्चा किसे कहते है इस पर बच्चो ने 5 साल 8 साल 12 साल 21 साल इस तरह से अलग अलग बच्चें की आयु बताई तब चेतना कार्यकर्त्ता ने बताया की प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने अपनी आयु 18 साल पूरी नहीं की है वह बच्चा कहलाता है चाहे वह लड़की हो या लड़का या थर्ड जेंडर इस तरह से हम कह सकते है की हम बच्चो के अधिकारों को ही बाल अधिकार कहते है। इसके साथ ही साथ बच्चो की मदद से ही बाल अधिकारों पर चर्चा शुरू की गयी बच्चो को दो ग्रुप में वांटा गया जिसमे एक लड़कियों का ग्रुप दूसरा लडको का ग्रुप फिर एक बच्चे को कपडे पर लिटाया गया बाकि बच्चो ने

उसका एक स्कैच बनाया फिर बच्चो ने बताया की सर में तेल लगाने साबुन लगाने चोटी बनाने किल्प लगाने जुड़ा बनाने का अधिकार है। माते पर टीका लगाने तिलक लगाने का अधिकार है आँखो से टीवी देखने अखबार पढ़ने किताब पढ़ने,काजल लगाने का अधिकार है मुँह से खाना खाने बोलने गाना गाने का अधिकार है। हाथो से खाना खाने काम करने लिखने का अधिकार है। इसी तरह से बच्चो ने शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में बताया तब चेतना कार्यकर्ता ने बच्चो को बताया की हम अधिकार किसे कहते है और जरुरत किसे कहते है बच्चो को अधिकार और जरूरतों में अंतर भी बताया

–अधिकार सबके एक सामान होते है जरुरत सबकी अलग अलग होती है।

–अधिकारों हम सरकार से मांग सकते है जरुरत नहीं मांग सकते।

–अधिकरों की गारंटी सरकार लेती है जरूरतों की नहीं। बाल अधिकार

बच्चों के वे अधिकार है जिन्हें 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मलेन (UNCRC) द्वारा अपनाया गया है और जिन्हें भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को अभिस्वीकृत (स्वीकार) किया है

बाल सुरक्षा पर बच्चों को बताया की उनको किन किन चीजों से और कैसे अपनी सुरक्षा करनी है उनको बताया गया की बच्चो को निम्नलिखित से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए बाल मजदूरी से संरक्षण, बाल विवाह से संरक्षण, लैंगिक शोषण से संरक्षण, मानव व्यापार से संरक्षण किसी भी अन्य प्रकार के शोषण व अत्याचार से संरक्षण और भेदभाव से संरक्षण।

सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित पर भी बच्चो के साथ जीवन कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमे बच्चो को कोमल मूवी दिखाई गयी साथ ही साथ बच्चो को बताया गया की उनको किन किन जगह किसी को नहीं छूना है और न ही अपने आपको छूने देना है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया अगर कोई ऐसा करता है तो बच्चो आपको वहाँ से तुरंत भागना है शोर मचाना है अपने मम्मी पापा और टीचर को बताना है इसके आलावा आप 1098 पर भी फोन कर सकते हो।

बाल अधिकार को निम्न 04 श्रेणी (केटेगरी) में बांटा गया है

जीने का अधिकार, विकास का अधिकार
संरक्षण का अधिकार और भागीदारी का अधिकार

जीने का अधिकार जन्म लेने का अधिकार, पहचान का अधिकार (जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि) पोष्टिक भोजन का अधिकार टीका करण का अधिकार	**विकास का अधिकार** शिक्षा का अधिकार स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और खेलकूद और मनोरंजन का अधिकार
संरक्षण का अधिकार बाल मजदूरी से संरक्षण का अधिकार बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार लैंगिक शोषण से संरक्षण का अधिकार मानव व्यापार से संरक्षण का अधिकार किसी भी अन्य प्रकार के शोषण व अत्याचार से संरक्षण का अधिकार भेदभाव से संरक्षण का अधिकार	**भागीदारी का अधिकार** अपने विचार रखने का अधिकार अपना संगठन बनाने का अधिकार सरकारी और गैर सरकारी बैठकों में भाग लेने का अधिकार

अभिभावकों के साथ हुयी बच्चों के कानूनों एवं स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण एवं सामूहिक चर्चा

सामाजिक संस्था चाइल्डहुड एनहान्समेन्ट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन (चेतना) द्वारा गुरुग्राम की अलग–अलग मलिन बस्तियों में अपना जीवन यापन कर रहे 50 से अधिक अभिभावकों के साथ बच्चों के कानूनों एवं स्कीम पर चर्चा की गयी चेतना संस्था के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राजेंद्र कुमार ने सभी प्रतिभागियों और अपने रिसोर्स पर्सन श्री भूपेंद्र जी का स्वागत करते हुए कहा कि आज की कार्यशाला बहुत ही मत्वपूर्ण है इसको हमें बड़े ध्यान से सुनना है और समझाना है क्योकि अगर हमको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण कर सकता है इस लिए आज जो भी बताया जाये उसको बड़े ध्यान से सुनें क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है।

श्री भूपेंद्र शांडिल्य ने कहा कि हमारे देश में 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के लिए अलग–अलग कानून और अलग –अलग योजनाएं सरकार द्वारा उन तक पहुंचाई जाती है उसी प्रकार से हमारे देश में भारत सरकार द्वारा देश के सभी बच्चों के लिए अलग–अलग कानून और योजनाएं बनाई जाती है जिससे बच्चे लाभार्थी हो सकें और अपनी बात समाज एवं सरकार तक रख सकें। तो पहले हम जानेंगे बाल अधिकार किसे कहते है बाल अधिकार बच्चों के वे अधिकार है जिन्हें 20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सम्मलेन (UNCRC) द्वारा अपनाया गया है और जिन्हें भारत सरकार ने 11 दिसम्बर 1992 को अभिस्वीकृत (स्वीकार) किया है। तो अब सवाल उठता है बच्चा किसे कहते है? प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी नहीं की है वह बच्चा कहलाता है तो बाल अधिकार को आसान शब्दों में समझने के लिए हम यह कह सकते है कि 18 साल से छोटे व्यक्ति के अधिकारों को बाल अधिकार कहते है सरकार द्वारा बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत Child Labour (Prohibition & Regulation) amendment Act 2016, Protection of Children from Sexual Offences Act 2012, The prohibition Child Marriage act 2006, Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act 2015, Immoral Trafficking Prevention Act 1956, Integrated Child Protection Scheme विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि हम बच्चा किसे कहते है? किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी नहीं की है वह बच्चा कहलाता है चाहे लड़की हो या लड़का या फिर थर्ड जेंडर। किशोर न्याय अधिनियम भारत में किशोर न्याय के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा है यह एक्ट किशोर अपराध की रोकथाम और उपचार के लिए एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है किशोर न्याय प्रणाली के दायरे में बच्चों के संरक्षण उपचार और पुनर्वास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। 86वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21क को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत 6–14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है इस लिए आप सभी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए जरूर भेजे।

इस कड़ी में श्री भूपेंद्र जी ने कहा कि सरकार द्वारा बच्चों के मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो 1098 के नाम से चर्चित है चलाया जा रहा है जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन कर सकता है। अगर आपकी जानकारी में आता है कि किसी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार से कोई उसका यौन, शोषण शारीरिक, शोषण मानसिक शोषण एवं बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हुआ है तो आप 1098 पर फोन करके उस बच्चे की मदद कर सकते हैं यह सेवा 24 घंटे संचालित रहती है और अपने आसपास के बच्चों को भी मदद कर सकते हैं।

इस कड़ी में श्री भूपेंद्र जी ने कहा की पोक्सो एक्ट के संबंध में हम किस प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पॉक्सो (POCSO) अधिनियम, 2012 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। यह कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गम्भीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग–अलग अपराध के लिए अलग–अलग सजा तय की गई है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय में कैमरे के सामने बच्चे के माता–पिता की मौजूदगी में होती है। इस कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्रकैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है।

अभिभावक सोनिया जी ने कहा कि अब हमारे आसपास में जो भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें हम चेतना संस्था के सेंटर पर भेजेंगे अगर कोई समस्या आती है तो संस्था के भैया दीदी से कह कर उसका समाधान करेंगे और बच्चों का ध्यान रखेंगे। यह मीटिंग बहुत ही अच्छी रही हम लोगों के लिए।

अभिभावक घटा गांव से राजी ने कहा कि हमें बच्चों के अधिकार एवं उनके कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी यहां पर हम लोगों ने 1098 और बच्चों के जो कानून है उसके बारे में जानकारी मिली हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे दूसरे बच्चों को भी बचाएंगे शोषण होने से और सभी बच्चों को सेंटर पढ़ने के लिए भेजेंगे प्रतिदिन।

चेतना संस्था के श्री विजय कुमार जी ने आए हुए सभी अभिभावकों का धन्यवाद किया और बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को याद रखने और कहा कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा करेंगे साथ ही जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनके बच्चों की भी सुरक्षा कवच की तरह देखरेख करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो आप इन कानूनों के अंतर्गत बच्चों की मदद कर सकते हैं।

बढ़ते कदम संगठन के सभी लीडर की लीडरशिप के गुण एवं जिम्मेदारी पर हुयी चर्चा

गुरुग्राम के अलग–अलग आये कांटेक्ट पॉइंट्स से आए बढ़ते कदम के लीडर को लीडरशिप ट्रेनिंग दी गई जिसके अंतर्गत 24 लीडर्स ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी एवं कर्तव्य को जाना और आने वाले समय में कैसे दूसरे बच्चों की मदद करेंगे उस पर चर्चा की। इस कड़ी में आए सभी लीडर को एक अच्छे लीडर के क्या गुण होते हैं उस पर चर्चा करते हुए निम्निलिखित बातों को ध्यान में रखा जैसे आप अपने संपर्क बिंदु पर सबसे पहले आकर संपर्क बिंदु की साफ–सफाई को देखकर सभी बच्चों को बुलाकर टीचर के साथ उनकी मदद कर बच्चों को संभालना एवं आपस में एकता बनाकर रखना एक दूसरे से अच्छा व्यवहार स्थापित करना अपने संवाद में एक दूसरे का आदर्श संस्कार करना एवं टीचर के द्वारा दिए गए निर्देश पर ग्रुप द्वारा लिए गए निर्णय को सर्वप्रथम स्वीकार करना एवं सभी बाल साथियों को सपोर्ट ग्रुप मीटिंग जीवन कौशल कार्यशाला अलग अलग गतिविधियों में भागीदारी सुरक्षित करवाना एवं उन्हें अपनी बात रखने के लिए प्रोत्साहन करना यह अच्छे लीडर के कर्तव्य और गुण होते हैं। फिर बच्चो ने भी एक एक करके लीडर के गुण बताये जो कि इस प्रकार है :–

- समय का पाबंद
- किसी प्रकार का नशा नहीं करना है सभी बच्चों का सम्मान करने वाला
- अपनी बातों को सही से रखने वाला
- एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाला
- पढ़ा लिखा और अच्छा बोलने वाला
- सभी मीटिंग में भागीदारी सुनिश्चित करने वाला
- कोर कमेटी मीटिंग में बच्चों की आवाज उठाने
- अपने साथियों की समस्याओं पर चर्चा कर उसका निवारण करने वाला
- अपने भैया दीदी की बात मानने वाला
- अपने सेंटर पर नए साथियों को जोड़ने वाला
- पॉइंट पर होने बाले आयोजन में मदद करने वाला
- सभी बाल साथियों की आवाज मीडिया एवं सरकार तक पहुंचाने वाला
- अच्छा व्यवहार करने वाला।

यह सभी महत्वपूर्ण बातें लीडर्स के साथ चर्चा करने के दौरान निकल कर आयी इसके अंतर्गत सभी लीडरों ने यह माना कि हमें एक अच्छा लीडर बनने के लिए इन सभी गुणों का अपने अंदर व्यवहार में लाना होगा एवं अपने सैंटरो पर इनका निर्वहन करना होगा।

श्री विजय कुमार ने कहा कि बढ़ते कदम संगठन जिसकी शुरुआत सड़क एवं कामकाजी बच्चों के द्वारा 9 जुलाई 2002 को की गई और इसका पूरा नाम बढ़ते कदम सड़क एवं कामकाजी बच्चों का संगठन है इसके तीन उद्देश्य रखें।

- **पहला उद्देश्य सड़क एवं कामकाजी बच्चों को पहचान दिलाना।**
- **दूसरा उद्देश्य सड़क एवं कामकाजी बच्चों को इज्जत दार जिंदगी दिलाना।**
- **तीसरा उद्देश्य सड़क एवं कामकाजी बच्चों को सरकारी एवं गैर सरकारी मीटिंग में भागीदारी दिलाना।**

इन तीनों अधिकारों को लेकर संगठन के 35 बच्चों ने मिलकर राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया और 9 जुलाई 2002 से लगातार अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग जिलों में अलग–अलग स्थानों पर बच्चों की आवाज को लेकर नुक्कड़ नाटक रैली मीडिया के साथ वार्ता सरकार के पास भेजना इत्यादि से सड़क एवं कामकाजी बच्चों की समस्याओं पर चिंतन किया और अपनी बात को मजबूती से आगे तक रखा।

जब बढ़ते कदम संगठन के पदाधिकारियों ने काम करना शुरू किया तो कई अड़चनें और समस्याएं सामने आई किन्तु बच्चों की आवाज बड़े अखबार तक नहीं पहुंच सकती थी तो बच्चों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम अपना अखबार बनाएं जिसमें हम बच्चे अपनी आवाज को रख कर दुनिया तक पहुंचाएंगे और उन को आईना दिखाएंगे 2003 में बालक नामा अखबार की शुरुआत की जो सिर्फ दो पेज का था आज 8 पेज का है और हिंदी इंग्लिश में इसकी कॉपी पब्लिश की जाती है और इस अखबार के माध्यम से सभी सड़क एवं कामकाजी बच्चे अपनी समस्या एवं पॉजिटिव कहानी को पब्लिश करते हैं और बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई आज 12,000 से अधिक सड़क एवं कामकाजी बच्चे बढ़ते कदम संगठन से जुड़े हुए है और यह सभी बच्चे अलग अलग राज्य जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान के अलग अलग जिले अलग अलग मोहल्ले के हैं जो सड़क एवं कामकाजी बच्चें संगठन के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं चाहे मदद उनकी शिक्षा से संबंधित हो बच्चों को बाल मजदूरी से निकालना हो या बाल विवाह को रोकना हो यह सब काम बच्चें मिलकर करते है। इस तरह से बच्चो को एक लीडर को कैसा होना चाहिए उसके क्या कर्तव्य है उसको बच्चो की कैसे मदद करनी है सम्पूर्ण जानकारी दी गई।

पोक्सो अधिनियम को लागू करने पर हुई पुलिस तथा अन्य विभागों की समन्वय कार्यशाला

कांफ्रेंस हाल कार्यालय पुराना पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम में लैंगिग अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो अधिनियम) पर पुलिस विभाग तथा अन्य विभागों की समन्वय बैठकध्दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जो कि समय सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 3:00 बजे तक चली। इस कार्यशाला में जनपद के समस्त थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारीयों, बाल कल्याण समिति सदस्य, चिकित्सा विभाग, ए0एच0टी0यू0, एस0जे0पी0यू0, क्राइम अगेंस्ट वूमेन सेल, अन्य सामाजिक सस्थाओं व चाइल्डलाइन आदि के लगभग 110 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस कार्यशाला के दौरान कानून से संबधित नियमो, मामलों में आने वाली समस्याओ तथा उनके निस्तारण की जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। जिसका उपस्थित सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया तथा पूर्ण सहयोग की बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती उपासना भा0पु0 से उपायुक्त साउथ गुरुग्राम की अध्यक्षता में व श्रीमती सुरिन्दर कौर सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम अगेंस्ट वूमेन की देखरेख में चेतना संस्था के निर्देशक श्री संजय गुप्ता जी एवं श्री वरुण पाठक चेयरपरशन बाल कल्याण समिती एनपीएस बिल्डिंग मयूर विहार फेस 1 व डॉक्टर नीरज यादव जी डीएमएस, डॉक्टर मानव आरएमओ, डॉक्टर बलविंदर सर्जन, डॉक्टर अमनदीप प्रसूतिशास्त्री सिविल अस्पताल गुरूग्राम एवं श्री प्रीति भसीन आनंद वकील सुप्रीम कोर्ट, श्री दीपक कुमार एवं

श्रीमती रुकमणी चाइल्डलाइन गुरुग्राम श्री राजेंद्र कुमार कोर्डिनेटर चेतना संस्था की उपस्थिति में किया गया। श्री संजय गुप्ता निदेशक चेतना संस्था ने दो दिवसीय कार्यशाला का संचालन किया और सहयोगी संगठन के बीच में तालमेल स्थापित कराने में मुख्य भूमिका निभाई और बताया कि अगर आपको किसी भी यौन शोषण के मामले की सूचना मिले तो आप तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन आदि को दे सकते हैं। चेतना संस्था द्वारा लगातार पोक्सो अधिनियम 2012 पर इस प्रकार की कार्यशाला कराई जा रही है।

श्री वरुण पाठक (सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी पोक्सो) द्वारा पोक्सो अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी गयी। साथ ही कहा कि अगर आप कानून का अनुपालन नही करते है। तो आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

श्रीमती सोनिया यादव सदस्य बाल कल्याण समिति गुरुग्राम ने कहा की बाल कल्याण समिति हमेशा बच्चों की मदद के लिए तैयार रहती है और जो भी हमारे समक्ष केस प्रस्तुत किए जाते हैं उससे संबंधित अधिकारी को जानकारी देते हैं और केस का निवारण करते हैं।

डॉक्टर अमनदीप प्रसूतिशास्त्री सिविल अस्पताल गुरूग्राम सभी आए पुलिसकर्मी को डेमो के माध्यम से सारी जानकारी दिया कि कैसे हम बच्चे के साथ जब यौन शोषण की घटना घटती है और जब वह मेडिकल प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो हम लोग पूरी किट के साथ एक से डेढ़ घंटे के दौरान सारी प्रक्रिया संपन्न कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। डॉक्टर नीरज यादव जी डीएमएस सीविल अस्पताल गुरूग्रम ने गुरुग्राम के सभी किशोर एवं किशोरियों को स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने की बात कही एवं पास के पीएससी सेंटर पर सड़क एवं कामकाजी बच्चों की स्क्रीनिंग एवं जांच की प्रक्रिया के लिए अपने विभाग की ओर से कार्य को पूरा करने के लिए भी बात कही साथी डॉक्टर मानव जो आरएम पद पर कार्यरत है और 24 घंटे के कैजुअल्टी के पेशेंट को देखते हैं और समय देते हैं इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में पोक्सो के केसेस के लिए सकून नाम से एक अलग से कमरा है वहाँ पर ऐसे मामलों को देखा जाता है ।

श्रीमती उपासना भा0पु0से पुलिस उपायुक्त साउथ गुरुग्राम, ने कहा कि चेतना संस्था के द्वारा पोक्सो एक्ट पर दिए जा रहे प्रशिक्षण सभी बाल–कल्याण पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में उपयोगी साबित होता है। यह प्रशिक्षण सभी पुलिसकर्मियों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब आप इन एक्ट के अंर्तगत केस अंकित करते है तो हम सभी धाराओं को ध्यान में रखते हुए केस की प्रक्रिया में आगे बढ़ते है। अपराध के स्तर को रोकने के लिए हमें आसपास की कम्युनिटी और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर सभी लोगों को जागरूक करना होगा एवं चेतना संस्था के सहयोग से सभी पुलिस थानों में बच्चों को पुलिस भ्रमण कराया जाएगा एवं सभी बच्चों को पुलिस कार्य प्रणाली से जेडब्ल्यू ऑफिसर अवगत कराएंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे अपराध के प्रति। इस आयोजन के माध्यम से यह भी कहा गया कि समय–समय पर बाल अपराधों से सम्बन्धित सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके विचार साझा किए जाएगें। श्रीमती सुरिन्दर कौर सहायक पुलिस आयुक्त क्राइम अगेंस्ट वूमेन गुरुग्राम ने इस कार्यशाला के माध्यम से कहा कि समय–समय पर हमारे ऑफिसर जब पोक्सो एक्ट से संबंधित केस अंकित करते हैं जब किशोर एवं किशोरियों को मेडिकल के दौरान हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखा जाए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुयी है और एवं कौन सी धाराएं अंकित करें इन सभी पहलुओं पर बारीकी से जानकारी दी गई है एवं पुलिस ऑफिसर के सवाल और जो विचार व सुझाव सुना गया है अब हम आशा करते है कि हमारे सभी पुलिस ऑफिसर इन सब बातो को ध्यान में रखकर अपना काम करेंगे।

अंत में श्री राजेंद्र कुमार प्रोजेक्ट कोर्र्डीनेटर ने आए हुए सभी प्रतिभागियो को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह प्रशिक्षण गुरुग्राम के बच्चों से सम्बन्धित बढ़ते अपराधों को खत्म करने में बहुत उपयोगी साबित होगा।

खिलती कलियाँ कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानकारी हेतु या वालेंटियर सेवा देने हेतु संपर्क करे
चाइल्डहुड इन्हान्समेंट थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्शन (चेतना),
40/22 ग्राउंड फ्लोर, मनोहर कुंज, गौतम नगर, नयी दिल्ली 110049
फोन 011–41644471/70. 09012640281
E-mail : chetnacncp@gmail.com. www.chetnango.org

संपादकीय टीम
राजेन्द्र, विजय, प्रियंका, मीनाक्षी
और सभी परियोजना टीम

यह सीमित वितरण के लिए ही है

Designed & Printed at RBH Media Designers, 9810985063